संस्थान उप-केन्द्र जबलपुर के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) इन भवनों की लागत कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि इन नव-निर्मित भवनों में दरारें आ गई हैं और उन्हें प्लास्टर से भर दिया गया है; और

(घ) इस घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) भवन निर्माण के लिए 32,69,674/- रुपए की स्वीकृति दी गई है ।

(ग) कुछ छतों में दरारें आ गई थीं । ग्राउटीकरण और एक्सपोसीग्राउटिंग से उनकी मरम्मत कर दी गई है । अब यह भवन संबंधित विभाग के कब्जे में है ।

(घ) मूल ठेकेदार के जोखिम और लागत पर सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सतर्कता एकक ने मामला जांच-पड़ताल के लिए दे दिया है ।

Allotment of DDA Flats to Widows

3211. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what is the number of allotment of DDA flats in Delhi during the last four calendar years to the widows under the special scheme, area-wise and year-wise:

(b) whether any percentage was fixed on Priority basis; and

0—150RSS/94

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) The DDA has reported that there is no special scheme for allotment of DDA flats to widows. However, young and recent widows have been considered by DDA in the past for ou.-of-turn allotment. The number of windows who were allotted flats under out-of-turn quota during the last four calendar years are as under :—

Year	*No. of allotments made*
1989	120
1990	75
1991	47
1992	20

The area-wise record of allotments has not been maintained by DDA.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पशु डेरी फार्म का आवंटन

3212. **श्री राम नरेश यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री 31 जुलाई 1992 का राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2552 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवंटितियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है । जिन्होंने लाइसेंस फीस/प्रीमियम जमा नहीं कराया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण कब तक इस फीस/प्रीमियम को वसूल कर सकेगा;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दरों पर मूल्य वसूल करना चाहता है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि मदनपुर खादर के आवंटितियों ने अभी फीस/प्रीमियम जमा